

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

आदेश संख्या/प्रबन्ध-02/ 457

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10-दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 अग्रेजी के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।

### स0अ0 एल0टी0 अग्रेजी (सामान्य शाखा)


क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनोज रावत	श्री सिरपाल सिंह रावत	M	30-JUN-83	सामान्य	-	60.856	रा0इ0का0 किलकिलेश्वर
2	पुनीता कण्डारी	श्री प्रेमचन्द्र कण्डारी	F	15-NOV-88	सामान्य	-	59.025	रा0इ0का0 तलेवन
3	आशा शाह	श्री भागचन्द शाह	F	5-MAY-90	अनु0जा0	-	57.947	रा0इ0का0 नागेश्वर सौड़
4	नीलम तोमर	श्री पुष्कर सिंह	F	3-JUN-91	अ0पि0व0	-	57.921	रा0उ0मा0वि0 लोयल
5	विकास सिंह रावत	श्री त्रेपन सिंह रावत	M	5-JAN-90	सामान्य	-	56.926	रा0उ0मा0वि0 भैगा
6	रजनी	श्री मनोहर लाल	F	8-DEC-88	सामान्य	-	56.168	रा0इ0का0 रानीचौरी
7	आरती	श्री मनोज कुमार	F	12-JUN-84	अनु0जा0	-	53.797	रा0उ0मा0वि0 मोटणा
8	सोहन लाल	श्री सिराज लाल	M	1-JAN-82	अनु0जा0	-	52.531	रा0इ0का0 कटुड हिन्दाब
9	मनोज सिंह	श्री पूरन सिंह	M	4-SEP-90	अनु0जा0	-	51.182	रा0उ0मा0वि0 लसियालगांव

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

- मा.सर्वोच्चन्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-

- (IV) In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no






right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

- b. (v) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

- 2- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेंगी।
- 3- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 4- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- 5- नियुक्ति/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्गत तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।




(एस.पी.सेमवाल)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/7018-25/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
- 2- मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 6- सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
- 7- सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।



मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

आदेश संख्या/प्रबन्ध-02/ 458

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10- दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 सामाजिक विज्ञान के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।

### स0अ0 एल0टी0 सामाजिक विज्ञान (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रुचि राणा	श्री कलम सिंह राणा	F	08-Jul-87	सामान्य	-	64.439	रा0इ0का0 थाती बूढाकेदार
2	अजयपाल सिंह मिया	श्री कमल सिंह मिया	M	01-Jul-81	सामान्य	-	61.008	रा0इ0का0 घण्डियालधार
3	गिरीश चन्द्र	श्री चन्द्रमणि उनियाल	M	10-Jul-85	सामान्य	-	59.791	रा0इ0का0 चमियाला
4	राजेश लाल	श्री अब्बल दास	M	13-Sep-83	अनु0जा0	-	55.379	रा0इ0का0 पौखाल
5	महेश नाथ	श्री सूरज नाथ	M	20-Jun-88	अनु0जा0	-	54.713	रा0इ0का0 नागेश्वर सौड़

### स0अ0 एल0टी0 सामाजिक विज्ञान (महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	परमेश्वरी	श्री शान्ति लाल	F	04-Jul-88	अनु0जा0	-	55.214	रा0बा0इ0का0 किलकिलेश्वर

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-


- 1- मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-

9

53

- a. (IV) In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
- b. (V) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.


- 2- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेंगी।
- 3- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 4- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- 5- नियुक्ति/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्गत तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

  
(एस.पी.सेमवाल)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/ 702633/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

आदेश संख्या/प्रबन्ध-02/ 459

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 कला के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।

### स0अ0 एल0टी0 कला (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीमा उनियाल	श्री सर्वानन्द उनियाल	F	12-Mar-89	सामान्य	-	36.694	रा0उ0मा0वि0 बडहल
2	निरूपमा सजवाण	श्री कुंवर सिंह सजवाण	F	27-Dec-87	सामान्य	-	36.502	रा0इ0का0 फकोट
3	सन्दीप खण्डूरी	श्री अनुपलाल खण्डूरी	M	10-Jul-87	अ0पि0व0	-	35.161	रा0इ0का0 मैण्डखाल
4	सुनील कुमार	श्री गजेन्द्र सिंह	M	14-Jan-87	अ0पि0व0	-	35.119	रा0इ0का0 क्यारी
5	महावीर सिंह चौहान	श्री आनन्द सिंह चौहान	M	25-Jun-87	सामान्य	-	34.849	रा0इ0का0 राडागाड़
6	द्रवीन सिंह	श्री शूरवीर सिंह	M	2-Nov-8	अ0पि0व0	-	34.079	रा0उ0मा0वि0 कोरदी
7	सरोजनी नौटियाल	विजेन्द्र प्रसाद नौटियाल	F	15-Jun-90	अ0पि0व0	-	33.324	रा0इ0का0 केमरा केमर
8	हरीश कुमार	श्री प्रेम लाल	M	16-Jun-90	अनु0जा0	-	32.781	रा0इ0का0 सजवाणकाण्डा


उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-


- मा.सर्वोच्चन्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-

- (iv) In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

b. (v) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

- 2- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेंगी।
- 3- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 4- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- 5- नियुक्ति/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्ग तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।


  
10.12.2020  
(एस.पी.सेमवाल)

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, जरेन्द्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/7034-41 /अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, जरेन्द्रनगर।

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

आदेशसंख्या/प्रबन्ध-02/ 460

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10-दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 व्यायाम के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।

### स0अ0 एल0टी0 व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उप श्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुनीत तिवारी	श्री प्रेमदत्त तिवारी	M	11-May-76	सामान्य	-	38.734	रा0इ0का0 भल्लेगांव
2	ब्रजेश व्यास	श्री विरेन्द्र दत्त व्यास	M	15-Jul-89	सामान्य	-	38.1	रा0इ0का0 मुन्नाखाल
3	विनोद प्रसाद	श्री प्रेमदत्त सेमवाल	M	1-Jun-77	सामान्य	-	37.123	रा0इ0का0 पौखाल
4	विवेक कोठियाल	श्री अरुण कुमार कोठियाल	M	8-Oct-83	सामान्य	-	35.804	रा0उ0मा0वि0 देवताधार, चम्बा
5	सुषमा पाण्डेय	श्री संजय पाण्डेय	F	1-Aug-84	सामान्य	-	35.379	रा0इ0का0 पांगरखाल
6	विनोद सिंह	श्री दयाल सिंह बिष्ट	M	2-Apr-83	सामान्य	-	35.373	रा0इ0का0 नागेश्वर सौंड
7	राजेन्द्र प्रसाद रयाल	श्री रामशरण दत्त	M	2-May-76	सामान्य	-	34.943	रा0प्र0इ0का0 बौराड़ी
8	जगत सिंह	श्री रतन सिंह	M	1-Feb-82	अनु0जा0	-	34.412	रा0इ0का0 चमियाला
9	सतपाल सिंह	श्री सब्बल सिंह	M	1-Jul-79	अ0पि0व0	-	33.795	रा0इ0का0 धददी घण्डियाल
10	विकास लिंगवाल	श्री उम्मेद सिंह लिंगवाल	M	18-Aug-87	अ0पि0व0	-	33.202	रा0उ0मा0वि0 रौसाल
11	सुदर्शन कुमार	श्री गोपाल लाल	M	15-Nov-88	अनु0जा0	-	32.098	रा0इ0का0 धोपड़धार
12	तारा	श्री फूल दास	M	10-Oct-79	अनु0जा0	-	30.94	रा0इ0का0 ज्ञानसू

9

✓


23

स0अ0 एल0टी0 व्यायाम (महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोनिका	श्री दिनेश चन्द्र	F	17-Nov-93	अनु0जा0	—	34.255	रा0बा0इ0का0 लम्बगांव

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

- मा.सर्वोच्चन्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-
  - (iv) In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
  - (v) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेगी।
- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- नियुक्त/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्गत तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।



(एस.पी.सेमवाल)


मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।



पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/7042-48 /अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
10.12.2020  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर।

आदेशसंख्या/प्रबन्ध-02/ 461

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 हिन्दी के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।


### स0अ0 एल0टी0 हिन्दी (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुमन	श्री वीरेन्द्र सिंह कंसवाल	F	1-Jan-82	सामान्य	-	63.24	रा0इ0का0 देवलधार
2	प्रमोद तिवारी	श्री मदन तिवारी	M	13-Jul-92	सामान्य	-	63.062	रा0इ0का अखोडी
3	श्री प्रवीन कुमार पालीवाल	श्री रमेश प्रसाद पालीवाल	M	25-May-92	सामान्य	-	62.377	रा0प्र0इ0का0 बौराडी
4	अनूसूइया प्रसाद	श्री इन्द्रदत्त	M	2-Aug-87	सामान्य	-	62.277	रा0उ0मा0वि0 अन्थवालगांव
5	दिनेश प्रसाद सेमवाल	श्री जगत राम सेमवाल	M	2-Aug-80	सामान्य	-	62.262	रा0इ0का0 बनचुरी
6	अनन्तराम रतूडी	श्री सूरतराम रतूडी	M	24-Oct-86	सामान्य	-	61.937	रा0उ0मा0वि0 गेंवली
7	रेखा	श्री कुंवर सिंह	F	10-Jun-84	अ0पि0व0	-	59.252	रा0उ0मा0वि0 उनाना
8	सुशील कुमार	श्री प्रेम लाल	M	2-Jul-89	अनु0जा0	-	57.204	रा0इ0का0 पावकी देवी
9	विजय प्रकाश	श्री सन्तलाल	M	29-May-86	अनु0जा0	-	54.834	रा0इ0का0 अंजणीसैण
10	राजकुमारी	श्री अर्जुन सिंह	F	6-Sep-87	अ0पि0व0	-	54.78	रा0इ0का0 रौणद रमोली
11	गुडडी देवी	श्री कन्हैया लाल	F	2-Feb-90	अनु0जा0	-	54.72	रा0उ0मा0वि0 पणशूत शुकी
12	शीशपाल	श्री भरपूर लाल	M	20-Jun-87	अनु0जा0	-	53.544	रा0इ0का0 नागेश्वर सौड
13	संजीता	श्री दर्शन लाल	F	30-Mar-87	अनु0जा0	-	53.479	रा0उ0मा0वि0 मरोड़

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	सुशीला देवी	श्री रमेश लाल	F	20-Jul-77	अनु0जा0	—	52.906	रा0इ0का0 लम्बगांव
15	आरती बडोनी	श्री अनुराग बडोनी	F	5-Jun-86	अ0पि0व0	—	52.514	रा0इ0का0 गजा
16	अर्जुन सिंह	श्री अमर सिंह	M	5-Jun-90	अनु0जा0	—	52.309	रा0इ0का0 ओखलाखाल
17	अमिता बिष्ट	श्री योगेन्द्र सिंह बिष्ट	F	1-Apr-82	अ0पि0व0	—	51.394	रा0इ0का0 रगड़गांव
18	रमेश सिंह	श्री गोपी सिंह	M	1-Jul-87	अनु0जा0	—	51.621	रा0इ0का0 कपरियाणीसैण

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

- मा.सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-
  - (IV) In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
  - (V) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेंगी।
- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- नियुक्ति/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्गत तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।




(एस.पी.सेमवाल)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेंद्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/ 7049-56 / अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
10.12.2020  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर।

कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर।

आदेशसंख्या/प्रबन्ध-02/ 462

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10 - दिसम्बर, 2020।

कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 विज्ञान के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।

स0अ0 एल0टी0 विज्ञान (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रीती बधानी	श्री विजय प्रसाद बधानी	F	1-Aug-89	अ0पि0व0	-	62.263	रा0उ0मा0वि0 लैदूर
2	सुमन बिष्ट	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	F	20-Mar-83	सामान्य	-	62.012	रा0इ0का0 पौखाल
3	मन्जू चौहान	श्री देव सिंह चौहान	F	15-Jul-81	सामान्य	-	61.211	रा0इ0का0 बागी बनगढ़
4	अखिलेश गौड़	श्री देवी प्रसाद गौड़	M	22-May-88	सामान्य	-	59.852	रा0उ0मा0वि0 ल्वेदन कसमोली
5	पिंकी उनियाल	गिरीश उनियाल	F	20-May-81	सामान्य	-	59.726	रा0इ0का0 जाखी डागर
6	सतपाल	श्री भोलेण्टर सिंह	M	30-Dec-92	अनु0जा0	-	59.302	रा0इ0का0 बिनकखाल
7	अरविन्द भट्ट	श्री देवी प्रसाद भट्ट	M	9-Feb-88	सामान्य	-	57.868	रा0इ0का0 चमियाला
8	बलबीर सिंह	श्री बंशी लाल	M	1-Jul-87	अ0पि0व0	-	57.176	रा0इ0का0 गोनीखाल
9	सुनील सिंह	श्री चतर सिंह	M	15-Jun-79	अ0पि0व0	-	56.923	रा0इ0का0 काटल
10	विपिन सकलानी	श्री अरविन्द कुमार सकलानी	M	25-Jul-89	अ0पि0व0	-	54.672	रा0इ0का0 नैनबाग

✓

✓


✓

स०अ० एल०टी० विज्ञान (महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उप श्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीमा असवाल	श्री जे०सी०असवाल	F	26-Aug-81	अ०पि०व०	—	55.734	रा०क०उ०मा०वि० नई टिहरी।


उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

- मा.सर्वोच्चन्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-
  - (iv) In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
  - (v) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेगी।
- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- नियुक्ति/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्ग तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

  
 10.12.22  
 (एस.पी.सेमवाल)  
 मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
 टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/7057-64/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समयवृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर।

आदेशसंख्या/प्रबन्ध-02/ 463

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 वाणिज्य के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।

### स0अ0 एल0टी0 वाणिज्य (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उपश्रेणी	सत्यापन के उपरान्त मैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय कानाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोनिका नेगी	श्री विक्रम सिंह नेगी	F	10-Mar-93	अ0पि0व0		62.355	रा0इ0का0 नैनवाग
2	आशीष कुमार	श्री सुन्दर लाल	M	27-Jun-91	अनु0जा0		54.835	रा0इ0का0 लम्बगांव

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

- मा.सर्वोच्चन्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-
  - (iv)In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
  - (v)The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेंगी।
- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय








के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।

- 4- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।
- 5- नियुक्त/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्ग तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।


  
(एस.पी.सेमवाल)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/ 7065-72/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कौषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

# कार्यालय:-मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वालनरेन्द्रनगर।

आदेशसंख्या/प्रबन्ध-02/ 464

/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020।

## कार्यालय ज्ञाप

मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी.सी.-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-410/XXIV-B-1/2020-31(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-104(1), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित विद्यालय में स0अ0 एल0टी0 गृह विज्ञान के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है।


### स0अ0 एल0टी0 गृह विज्ञान (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (M/F)	जन्मतिथि	जति	आरक्षित उप श्रेणी	सत्यापन के उपरान्तमैरिट के गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नेहा	मुन्ना लाल	F	10-Jun-92	अनु0जा0		53.80	रा0इ0का0 नागराजाधार नगुण

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

- 1- मा.सर्वोच्चन्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil)Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-
  - a. (iv)In the interregnum period, to take care of exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularization or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
  - b. (v)The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31<sup>st</sup> march, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- 2- उक्त आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालय में योचित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अधीन रहेंगी।
- 3- यह नियुक्ति/तैनाती नितान्त अस्थायी है, नियमित नियुक्ति (सीधीभर्ती/ पदोन्नति/ स्थानान्तरण/ समायोजन) होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा.उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 4- अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रु. 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।

- 5- नियुक्त/तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। समयान्तर्गत तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।


  
10.12.2020  
(एस.पी.समवाल)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

पृष्ठांकन संख्या/प्रबन्ध-02/1073-80/अतिथि शिक्षक/2020-21, दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
2. मण्डलीय अपरनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांचोपरान्त नोटरी शपथ पत्र में सम्बन्धित अतिथि शिक्षक को अनुबन्धित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करवायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अर्न्तगत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, साथ ही कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।